



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 भाद्र, 1945 (श०)

संख्या - 506 राँची, शुक्रवार,

25 अगस्त, 2023 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

24 अगस्त, 2023

संख्या-02/परि.वि.-(स्था.)-01/2020-957--झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित अधिसूचना गजट संख्या-619, दिनांक-21.08.2015 एवं गजट संख्या-209, दिनांक-08.02.2016 द्वारा दक्षिणी छोटानागपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, राँची के अंतर्गत विनिर्धारित अंतर्क्षेत्रीय मार्गों की सूची का प्रकाशन किया गया है ।

2. उक्त अधिसूचना गजट संख्या-619, दिनांक-21.08.2015 में “फेरो की संख्या जाना/आना” अंकित है, जबकि अधिसूचना गजट संख्या-209, दिनांक-08.02.2016 में “खेपों की संख्या (जाना एवं आना)” अंकित है ।

3. उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त अधिसूचना गजट संख्या-619, दिनांक-21.08.2015 के कॉलम-5 में अंकित “फेरो की संख्या जाना/आना” शब्द के स्थान पर “खेपों की संख्या (जाना एवं आना)” शब्द से प्रतिस्थापित किया जाता है ।

4. उपरोक्त अधिसूचनाओं की शेष शर्तें यथावत् रहेगी ।
5. एतद् संबंधी पूर्व से निर्गत अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के उप सचिव
परिवहन विभाग ।
